

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022-23/ 8888 दिनांक 8-9-23  
निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा।

विषय :- कोटा से धरनावदा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।  
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6979/2014 (13.558ha)

संदर्भ:- अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक  
4623-24 दिनांक 24.01.2023 के क्रम में एवं आपका का पत्र क्रमांक 3920  
दिनांक 26.07.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से चाही गई दिनांक 18.4.2018 की रिपोर्ट निम्नानुसार  
प्रेषित है।

S.N	EDS Raised in REC meeting dated 18.4.2018	REPLY of EDS
a	Details of Alternative Examined have not been given.	कोटा से धरनावदा मार्ग 1980 से पूर्व का बना हुआ प्रचलित मार्ग है जो सन 1975 में ग्रेवल सडक बनी हुई थी जिसका डामरीकरण का कार्य 1984-85 में किया गया था। यह मार्ग धरनावदा होते हुए मध्यप्रदेश से जुड़ा हुआ है व स्टेट हाईवे है। इस मार्ग पर थर्मल पावर प्लान्ट होने के कारण आवागमन अधिक रहता है वर्तमान में उक्त सडक न्यूनतम वन क्षेत्र से गुजरती है प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं।
(i)	The Justification has been submitted that there is no alternative and in case if other Alternatives are explored more forest area will be required. (document at 8-c/1)	यह सडक 1975 से ग्रेवल सडक है अतः उक्त मार्ग में पडने वाली पूर्ण वन भूमि की प्रत्यावर्तन की आवश्यकता है। इस मार्ग के बाईं और कोई भी वैकल्पिक मार्ग लेने पर राजस्थान सीमा तक वन भूमि आती है तथा इस मार्ग के दाईं और छबडा से धरनावदा जाने के लिये हिंगलोट, पाली, फलिया फाटक होते हुए पहुँचा जा सकता है इसके लिये 17 की.मी अतिरिक्त दूरी तय करनी पडेगी तथा यह स्टेट हाईवे होने के कारण यह Strengthening का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः इसके अतिरिक्त विकल्प लेने पर अधिक वन भूमि व अधिक लागत आयेगी इसलिये अन्य विकल्प उचित नहीं है।
(ii)	The Justification is without quantification of area other alternatives.	
b	Layout Plan and Cross Section Showing the Forest Area Requirement	यूजर एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि यद्यपी निर्माण कार्य 18 मी. चौड़ाई में किया गया

D/Kota to Dharanawada Road

	and area calculation has not Provided.	है किन्तु उक्त सडक स्टेट हाईवे होने के कारण IRC-73 के अनुसार minimum road land withth 30 मी. होनी आवश्यक है। अतः भविष्य की प्लानिंग ,पौधरोपण व पतब की गाईड लाईन अनुसार 30 फिट की चौड़ाई में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। संलग्न IRC की प्रति
(i)	Details are Provided in hard copy at 8/c-2 and 8c/-3.	
(ii)	As per cross Section Attached At 8-c/3 the requirement is of 18 mts width requirement varying from 7.13 mts to 29 mts at different chainage of road.	
c	Required no Objection certificate is not Provided.	उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाया गया है।
d	Violation of FC Act has been Reported & FIR has been lodged against Contractor/ driver by ROF. How, area of violation has not been specified.	दिनांक 1.06.2013 को पदस्थापित अधिकारियों एव वर्तमान पर स्थापन की सूचना तथा वर्क आर्डर की कापी एव कान्ट्रेक्ट डाक्युमेन्ट की प्रति भी अधिशाषी अभियन्ता के पत्र क्रमांक 2244 दिनांक 31.05.2018 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित कर दी गई है। 4 है0 वन क्षेत्र में violation हुआ है।
(i)	Extent violation (4.0ha ) has been Provided at 8-c/11. The document is a both sides for 4 kms.	उक्त प्रकरण में स्टेट के 4 की.मी लम्बाई में 5-5 मी दोनो तरफ कुल 4 है0 में से सडक चौड़ाई करण का कार्य वन क्षेत्र में किया जा चुका है जिसकी FIR NO 7-82 दिनांक 27.9.2013 एव रवन्ना न0 43-28 दिनांक 03.10.2013 से दर्ज किया जाकर 62000रु जुर्माना वसूल कर अपराध शमन किया गया । जिसमें वन अपराध दर्ज करते समय 0.29 है0 का उल्लंघन पाया गया था।
(ii)	Issue of violation of FCA needs to be dealt as per latest guidelines of MOEF & CC issued on 29 january 2018 Provisions contained on page 2 at A(i) regarding cases" where the proposal under FC Act has not been submitted and forest land is diverted without FC" shall be delat as per Provisions contained in sub section	MOEF & CC के 29 january 2018 के परिपत्र के आधार पर प्रयोक्ता अभिकरण से आरोपित शास्ती की राशि 610383.66/- की गई है राशि जमा कराने एव अन्य शर्तो की पालना हेतु यूजर एजेन्सी को पत्र लिखा गया है।

D/ Kota to Dharanawada Road

<p>(iii)</p>	<p>(i) &amp; (ii) in this cases the violation is of 2013 as per part II filled by DFO and timeline shows submission of proposal by user agency on 8<sup>th</sup> may 2015.</p> <p>Date of violation is the case is confusing because few other dates are mentioned in report at 8/c-1 like construction of gravel road in 1975 application bitumen / tar in 1984-85. Therefore, the issue requires a self contained note duly provided chronology, details of officials, actual extent with dates, copy of work related document etc.</p>	<p>यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 433 दिनांक 27.07.2023 द्वारा self contained note की प्रेषित किया गया है जिसमें क्रोनोलोजी, पद स्थापित अधिकारीयो का विवरण, वर्क ओर्डर की कोपी एव कोन्ट्रेक्टर डोक्यूमेन्ट की प्रति संलग्न है।</p>
<p>e.</p>	<p>Entire area falling under forest Proposed for construction has been included in diversion Proposal, whereas the road is claimed to be pre existing . It needs clarification”</p>	<p>उक्त मार्ग 1980 से पूर्व का बना हुआ प्रचलित मार्ग है जो लगभग सन 1975 में ग्रेवल सडक बनी थी जिस पर 1 लेन सडक बनी थी डामरीकरण का निर्माण 1984 -85 में किया गया था किन्तु 2013 में उक्त सडक का सुदृढीकरण एव चौडाईकरण कार्य किया जाना था। इस हेतु सडक का पूरा एरिया डायवर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।</p>
<p>(ii)</p>	<p>Extent violation will vary as per this reply which will require inclusion of all constructed area.</p>	<p>यद्यपी 1 लेन सडक का निर्माण 1988 में किया गया था किन्तु 2013 में उक्त सडक का सुदृढीकरण एव चौडाईकरण कार्य किया जाना था। इस हेतु सडक का पूरा एरिया डायवर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।</p>

"As per DSS Analysis 1 ha only out of 13.56ha Proposed for CA is not found suitable. This may be re. examined"

DSS विप्लेशन के अनुसार 13.56 हे० में से 12.56 हे० क्षेत्र ही NFL हेतु अनुकूल पाया गया है। उरही अनुसार 12.56 हे० का NFL प्रदान संलग्न कर दिया गया है। 1 हे० भूमि अनुसपयुक्त पाये जाने के कारण MOEF & CC के परिपत्र अनुसार अवशेष भूमि 1 हे० पर लगाये जाने वाले 1100 पीछे परिभाषित वन भूमि 1.57 हे० पर लगाये जायेंगे।

(दीपक कुमार गुप्ता)  
उप वन संरक्षक

बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ ( ) / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 अति प्रधान मुख्य वन सहायक, FCA नोडल अधिकारी राजा जयपुर।

2 अधिशापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहवाड।

(दीपक कुमार गुप्ता)  
उप वन संरक्षक

बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, छबड़ा

To,

Divisional Forest Officer District Baran.

विषय -- Diversion of 13.558 ha. of forest land for upgradation Kota-Dharanawada Road Km. 132/500 to 137/500

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/6979 2014

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We Submitting the Reply for the EDS Raised by forest Department for the Proposal as follows.

S.No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
1	Details of alternative examined have not been given	कोटा धरनावदा मार्ग संख्या 1980 से पूर्व का बना हुआ प्रचलित मार्ग है। जो लगभग सन। 1975 में गेवल सड़क बनी थी जिसका डामरीकरण का कार्य 1984-85 में किया गया था। यह मार्ग धरनावदा होते हुए मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है व स्टेट हाइवे है। इस मार्ग पर थर्मल प्लांट होने के कारण काफी आवागमन रहता है। उक्त सड़क न्यूनतम वन क्षेत्र से गुजरती है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई विकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। क्योंकि यह सड़क 1975 से गेवल सड़क हैं अतः उक्त मार्ग में पड़ने वाली पूर्ण वन भूमि की प्रत्यावर्तन की आवश्यकता है। इस मार्ग के बाईं ओर कोई भी विकल्पिक मार्ग लेने पर राजस्थान सीमा तक वन भूमि आती है। तथा इस मार्ग के दांयी ओर छबड़ा से धरनावदा जाने के लिये डिंगलोट, पाली, फलिया फाटक होते हुए धरनावदा पहुँचा जा सकता है। इसके लिये करीब 17 कि. मी. अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी तथा यह स्टेट हाइवे होने के कारण यह Strengthening का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः इसके अतिरिक्त विकल्प लेने पर अधिक वन भूमि व अधिक लागत आयेगी। अतः अन्य विकल्प उचित नहीं है। संलग्न -- इण्डेक्स मैप
2	Layout plan and cross section showing the forest area requirement and area calculation has not been provided.	यद्यपि निर्माण कार्य 18 मी. चौड़ाई में किया गया है। किन्तु उक्त सड़क स्टेट हाइवे होने के कारण IRC-73 के अनुसार Minimum road land width 30 मी. होनी आवश्यक है। अतः भविष्य की प्लानिंग, पौधारोपण व IRC की गाइड लाइन के अनुरूप 30 फीट की चौड़ाई में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं संलग्न IRC-73 की प्रति
3	Required no objection certificate is not provided	

4	Violation of FCA Act has been reported & FIR has been lodged against contractor driver by ROF . However area of viloation has not been specified	दिनांक 1.06.2013 को पदस्थापित अधिकारियों एवं वर्तमान पदस्थापन की सूचना तथा वर्क ऑर्डर की कॉपी एवं कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेन्ट की प्रति भी अधिशाषी अभियन्ता के पत्रांक 2244 दिनांक 31.05.2018 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित कर दी गई है ।श्रीमान उप वन संरक्षक वारों द्वारा Site Inspection Report में कुल 4.00 हेक्टर वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाया गया है।
5	Entire area falling under forest proposed for construction has been included in diversion proposal, whereas the road is claimed to be pre-existing. It nees clarification	यद्यपि कोटा धरनावदा मार्ग संख्या 1980 से पूर्व का बना हुआ प्रचलित मार्ग है। जो लगभग सन। 1975 में ग्रेवल सड़क बनी थी जिस पर 1 लेन सड़क डामरीकरण का निर्माण 1984-85 में किया गया था किन्तु 2013 में उक्त सड़क का सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य किया जाना था । इस हेतु सड़क का पूरा एरिया डायवर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।
6	As per DSS Analysis 1 ha. Only out of 13.56 ha. Proposed for CA is not found suitable. This may be reexamined	DSS Analysis के अनुसार अनउपयुक्त भूमि जिसके अन्तर्गत प्लान्टेशन का कार्य नहीं होगा इसके अन्तर्गत अन्य बतयानुसार वन भूमि में प्लान्टेशन कार्य कर दिया जायेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

*Abir Singh*

अधिशाषी अभियन्ता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड छबड़ा